न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री परसा राम आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 28/2025

GCMS NO-2025/46

प्रार्थी		अप्रार्थी
प्रवीण चौधरी, खादय सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।	बनाम	1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री खेता राम उम्र 24 वर्ष निवासी टिब्बा पाडा नाचना जैसलमेर(मालिक/विक्रेता) मैसर्स महादेव ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टेण्ड नाचना टिब्बा पाडा नाचना जैसलमेर। मो0 8875140310 2. खेताराम पुत्र श्री बाबुलाल उम्र 48 वर्ष निवासी टिब्बा पाडा नाचना जैसलमेर(मालिक/विक्रेता) मैसर्स महादेव ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टेण्ड नाचना टिब्बा पाडा नाचना जैसलमेर। मो0 7568680103 3. दिलीप कुमार खत्री पुत्र रानीदान खत्री उम्र 47 वर्ष निवासी कमला नेहरू नगर, 16, दाउ की ढाणी जोधपुर(मेन्यूफेक्चरर/पार्टनर) मैसर्स महादेव ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टेण्ड नाचना टिब्बा पाडा नाचना जैसलमेर। मो0 9829010396 4. राजेन्द्र खत्री पुत्र स्वरूप चंदखत्री उम्र 49 वर्ष निवासी 17 ई 382, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (मेन्यूफेक्चरर/पार्टनर) मैसर्स आर.डी.के. फूड प्रोडक्टस के–144 बासनी 1 फेस जोधपुर। मो0 9529806195

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 04 तक की ओर से महेन्द्र कुमार उपस्थित।

:: निर्णय :: दिनांक: 02.07.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थी के विरूद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.10.2024 को दोपहर 02.30 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स महादेव ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टेण्ड नाचना टिब्बा पाड़ा नाचना जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स महादेव ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टेण्ड नाचना टिब्बा पाड़ा नाचना जैसलमेर पर श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री खेता राम उम्र 24 वर्ष निवासी टिब्बा पाड़ा नाचना जैसलमेर (विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर धनिया पाउडर आर.डी.के.रखा मिला जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात धनिया पाउडर आर.डी.के. 2 किलोग्राम के नमूने वास्ते तोल कर दिया, जिसके पेटे 520/– रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा धनिया पाउडर आर.डी.के. को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला तथा डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येंक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन–2066 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर

प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन–2066 नियमानुसार चारों नमूनो पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन–2066 धनिया पाउडर आर.डी.के. लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को किसनाराम कड़वासरा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 21.10.2024 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुरत पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 217.10.2024 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक 15883–85 दिनांक 13.11.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./1482/Act/2024/1523 दिनांक 30.10.2024 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक /एफएसएसए /2024 /स्वीकृति /एन–2066 /17726–27 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री खेता राम उम्र 24 वर्ष निवासी टिब्बा पाड़ा नाचना जैसलमेर (विक्रेता) मैसर्स म्हादेव ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टेण्ड नाचना टिब्बा पाड़ा नाचना जैसलमेर 2. खेताराम पुत्र श्री वाबुलाल उम्र 48 वर्ष निवासी टिब्बा पाड़ा नाचना जैसलमेर(मालिक/विक्रेता) मैसर्स महादेव ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टेण्ड नाचना टिब्बा पाड़ा नाचना जैसलमेर 3. दिलीप कुमार खत्री पुत्र रानीदान खत्री उम्र 47 वर्ष निवासी कमला नेहरू नगर, 16, दाउ की ढाणी जोधपुर(मेन्यूफेक्चरर/पार्टनर) मैसर्स महादेव ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टेण्ड नाचना टिब्बा पाड़ा नाचना जैसलमेर 4. राजेन्द्र खत्री पुत्र स्वरूप चंदखत्री उम्र 49 वर्ष निवासी 17 ई 382, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (मेन्यूफेक्चरर/पार्टनर) मैसर्स आर.डी.के. फूड प्रोडक्टस के–144 बासनी 1 फेस जोधपुर के द्वारा सबस्टेण्डर्ड धनिया पाउडर आर.डी.के. का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी सं. 01 की ओर से प्राप्त जवाव के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अप्राथी ने बताया कि खाद्य सामग्री धनिया पाउडर आर.डी.के.को जिस अवस्था में खरीदा उसी अवस्था में विक्रय हेतु रखा गया था गर्म मौसम होने के कारण मानकों में अनियमितता रही है इसमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं की भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया।

दोनों पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय में हाजीर हुआ है। अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खादयसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट L.S./1482/Act/2024/1523 दिनांक 30.10.2024 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन मे साक्ष्य प्रस्तुत कर बताया कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं की गई है और भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया।

अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने के हेतु मनन किया गया। पत्रावली पर स्पष्ट तथ्य नहीं है कि अप्रार्थी ने कितना व कब से अनुचित लाभ कमाया। चूंकि अप्रार्थीगण प्रथम बार दोषी पाए गए है उसको मध्य–नजर रखते हुए न्यायहित में शास्ति आरोपित की जाती है एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहो इसकी भी चेतावनी दी जाती है। अप्रार्थीगण द्वारा कारित दोषपूर्ण कृत्य की गम्भीरता तथा इसके आमजन के स्वास्थ्य पर पडने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए हमारे विनम्र अभिमत में प्रकरण में अधिकतम विहित शास्ति अधिरोपित किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा, जिसे अप्रार्थी संख्या 01 से 03 पर संयुक्त रूप से शास्ति राशी 25000/– पच्चीस हजार अक्षरे रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगणों द्वारा यदि उक्त निर्णय दिनांक के एक माह पश्चात् यानि निश्चित समयावधि में शास्ति शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो खादय सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत उनके लाईसेन्स को निलम्बित कर भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की कार्यवाही की जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसा राम)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमर

क्रमांकःकोर्ट/2025/ दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर
2. श्री प्रवीण चौधरी, खादय सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।
3. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री खेता राम उम्र 24 वर्ष निवासी टिब्बा पाडा नाचना जैसलमेर(मालिक/विक्रेता) मैसर्स महादेव ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टेण्ड नाचना टिब्बा पाडा नाचना जैसलमेर। मो0 8875140310
4. खेताराम पुत्र श्री बाबुलाल उम्र 48 वर्ष निवासी टिब्बा पाडा नाचना जैसलमेर(मालिक/विक्रेता) मैसर्स महादेव ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टेण्ड नाचना टिब्बा पाडा नाचना जैसलमेर। मो0 7568680103
5. दिलीप कुमार खत्री पुत्र रानीदान खत्री उम्र 47 वर्ष निवासी कमला नेहरू नगर, 16, दाउ की ढाणी जोधपुर(मेन्यूफेक्चरर/पार्टनर) मैसर्स महादेव ट्रेडिंग कम्पनी बस स्टेण्ड नाचना टिब्बा पाडा नाचना जैसलमेर। मो0 9829010396
6. राजेन्द्र खत्री पुत्र स्वरूप चंदखत्री उम्र 49 वर्ष निवासी 17 ई 382, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (मेन्यूफेक्चरर/पार्टनर) मैसर्स आर.डी.के..फूड प्रोडक्टस के–144 बासनी 1 फेस जोधपुर। मो0 9529806195

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमर